न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 22 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
झीमोदेवी पुत्री सोनाराम पत्नी भीमाराम जाति जाट निवासी पतासर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. खुशालाराम पुत्र सोनाराम 2. गोदुराम पुत्र सोनाराम 3. तगाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी पतासर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 4. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा 5. हल्का पटवारी, बाणियावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 6. तगतसिंह पुत्र उदयसिंह 7. नरपतसिंह पुत्र उदयसिंह 8. मनोहरसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी सोईन्तरा तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 4 / 2015 बअनवान झीगोदेवी बनाम खुशालाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री रूगाराम कड़वासरा अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 12.07.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता वादीनी द्वारा एक राजस्व वाद 88, 53ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि सरहद मौजा पतासर तहसील पचपदरा में वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की संयुक्त सामलाती एवं पैतृक खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 281 रकवा 157.09 बीघा स्थित है जिसमें वादीनी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा है। वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के पिता सोनाराम के फौत होने पर वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित भूमि में हल्का पटवारी द्वारा केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से फौतगी म्यूटेशन भरा गया, जबकि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 जाति से जाट है एवं हिन्दू रिति रिवास व धर्म को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मानने वाले व्यक्ति है जिससे हिन्दू उतराधिकार के तहत वादीनी पैतृक संपति में अपना हक हिस्सा पाने की विधिक उतराधिकारी है। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत के उद्देश्य को दरकिनार करते हुए मनमर्जी व विधि विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की जवावदावा प्रस्तुत करने के स्टेज पर विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट बाणियावास में रखी गई, जिस बावत अपीलांट/वादीनी को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद प्रमाणित नहीं होने से दिनांक 24.06.2015 केम्प कोर्ट में अपीलाधीन आराजी पैतृक होना व विरासत में मिलना साबित नहीं होने से खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय बाणियावास में सुनवाई हेतु रखे इस प्रकरण बाबत अलग से अपीलांट को न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया अपीलांट एवं अपीलांट अधिवक्ता की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादीनी अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद प्रमाणित नहीं कर सकी वादिनी ने वादग्रस्त भूमि के बारे में भरे गए विरासतन नामांतरकरण को भी चुनौती नहीं दी हैं इसके अभाव में वह अपना हक पाने की अधिकारिणी नहीं ठहरती है। अपीलाधीन आराजी में से प्रतिवादी संख्या 03 ने अपने संपूर्ण हिस्से का बेचान कर किया गया। बेचान के विक्रय पत्र प्रभाव में है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते अपीलांट/वादीनी राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अपीलांटस अपना वाद अधीनस्थ न्यायालय में साबित करने में असमर्थ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुतिच अवसर दिया गया। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय बाणियावास में सुनवाई हेतु रखी। इस बावत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। वादिनी/अपीलांट का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों मुताबिक इस पुश्तैनी वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक निहित था, इस आशय का हस्तगत वाद पेश किये गया जिसे सावित करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। वादिनी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित होगा।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 4/2015 बअनवान झीमोदेवी बनाम खुशालाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.06.2015 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थिया के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.09.2023 को उपस्थित हो।

(प्रतिज्ञा अपलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर